राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1810/2008/कोटा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रामदयाल एण्ड ब्रदर्स, शिवपुरी रोड़ श्योपुर (एम.पी.). .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 04/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 223/आरएसटी/एनआरडी/2005–06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन वृत–द्वितीय, कोटा (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 15.02.2006 को वाहन संख्या आर.जे.20/जी–2331 को कोटा–बारां रोड़ पर चैक किये जाने पर वाहन में 210 बोरी सोयाबीन की पायी गयी। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी, मण्डी समिति, श्योपुर (एम.पी.) की रसीद व प्रारूप–दस प्रस्तुत किये गये, जिनके अनुसार माल श्योपुर (एम.पी.) से उज्जैन (एम.पी.) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। उक्त दस्तावेजों के साथ दो लूज पर्चियां भी पायी गयी, जिनमें राजस्थान के मोबाईल नंबर अंकित पाये गये। इस आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल राजस्थान में अनलोड होना अवधारित करते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 65,070/– एवं कर रूपये 8676/– का आरोपण आदेश दिनांक 18.02.2006 से किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.01.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. इस प्रकरण में वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि बाबत् सक्षम अधिकारी द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण मात्र इस आधार पर किया गया है कि माल के दस्तावेजों के साथ लूज पर्चियां पायी गयी, जिनमें राजस्थान के मोबाईल नंबर अंकित पाये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित भी नहीं किया गया है कि विवादित माल राजस्थान राज्य की सीमा में अनलोड किया गया है। केवल लूज पर्चियों के आधार पर अनुमानतः माल राजस्थान में उतारा जाना अवधारित करते हुए शास्ति व कर का आरोपण किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से पौषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

4/10/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य